संख्या:-1/डी-681/38-2-2014-2(91)डी/2003

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक:10अक्टूबर,2014**

विषय:- प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-226/स्था0-5/अभि0/2013 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु सम्यक विचारोपरान्त 60 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासन में सक्षम स्तर से यह निर्णय दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को लिया गया है, अत: उक्त आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2014 से प्रभावी होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त सम्बन्ध में ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के निर्गत शासनादेश संख्या-डी-680/38-2-2014-2(91)डी/2003 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-894/दस-2014 दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–1/डी-681(1)/38-2-2014 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
3- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4- कार्मिक अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त वेतन आयोग अनु0-2
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in